



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234771
CG-DL-E-01042022-234771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1477]
No. 1477]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022

का.आ. 1529(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 18 अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4328 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, “अमर उजाला” और “दैनिक जागरण” में तारीख 04 नवंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, एक आक्षेप प्राप्त हुआ था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला— इटावा

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेअर में	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भरथना	रीतौर	135मि.	निजी	कृषि	0.0063	उपेन्द्र सिंह, निरपेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह पुत्रगण रामजन्म सिंह।

[फा.सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2291]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2022

S.O. 1529(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 4328(E), dated the 13th October, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th October, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Etawah in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Amar Ujala” and “Dainik Jagran” dated the 4th November, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, one objection was received and the same has been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Etawah in the State of Uttar Pradesh.

District : Etawah

Sl. No.	Name of the Tehsil	Name of Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area in Hectares	Name of land owners/interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bharthana	Ritaur	135 mi	Private	Agricultural	0.0063	Upendra Singh, Nirpendra Singh, Pushpendra Singh S/o Ramjanm Singh.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2291]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)